संख्या– 115 / 26–2–2023–2(14) / 2022

प्रेषक,

डा0 हरिओम,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 07 फरवरी, 2023

विषयः– उ0प्र0 ट्रांसजेण्डर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष एवं नामित अन्य 07 सदस्यों को मानदेय एवं भत्ता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1364 / 26–2–2022–2(14) / 2022, दिनांक 02 नवम्बर, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में मानदेय एवं भत्ता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–4 / जी–2–144 / दस–2014–1(विविध) / दस–2014, दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 में विहित प्राविधानानुसार नवगठित ट्रांसजेण्डर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष एवं अन्य 07 सदस्यों को मानदेय, भत्तें एवं अन्य सुविधायें नामित किये जाने की तिथि से निम्नवत् प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

मानदेय / भत्ते एवं विभिन्न सुविधायें	**व्यवस्था**
1	2
नियत मानदेय	गैर सरकारी उपाध्यक्ष को रू0 35000 / – प्रतिमाह नियत मानदेय अनुमन्य होगा जिस पर कोई महंगाई भत्ता देय नहीं होगा
वाहन	गैर सरकारी उपाध्यक्ष को एक वाहन की सुविधा अनुमन्य होगी।
यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता	गैर सरकारी उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को बैठकों में भाग लेने हेतु राजधानी क्षेत्र से बाहर से आने की दशा में यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता एवं प्रासंगिक व्यय (इन्सीडेन्टल चार्जेज) प्रदेश सरकार के अधीन कार्यरत समूह 'क' के अधिकारियों के समान अनुमन्य होगा।
टेलीफोन सुविधा	गैर सरकारी उपाध्यक्ष को टेलीफोन की सुविधा कार्यालय तथा आवास दोनों स्थानों पर प्रति टेलीफोन अधिकतम रू0 25000 / – वार्षिक गैर सरकारी सदस्य को टेलीफोन सुविधा केवल आवास अधिकतम रू0 15000 / – वार्षिक।
वैयक्तिक स्टाफ की सुविधा	गैर सरकारी उपाध्यक्ष को एक वैयक्तिक सहायक एवं दो अनुसेवक की सुविधा अनुमन्य होगी।
चिकित्सा सुविधा	गैर सरकारी उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को प्रदेश सरकार के अधीन कार्यरत समूह 'क' के अधिकारियों के समान चिकित्सा सुविधा अनुमन्य होगी।

कृपया तद्नुसार अविलम्ब भुगतान सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 हरिओम)
प्रमुख सचिव।

Yad Go